रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 14, 2011/आश्विन 22, 1933
No. 198] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2011/ASVINA 22, 1933

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2011

फा. सं. भा.आ.प.-34(41)/2011-मेडि./37036.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली (संशोधन), 2011" कहा जाए।

   (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. "अर्हता मानदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(2) यथासंशोधित 26-2-2010 की अधिसूचना को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"मेगा शहरों (मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई) और 'ए' श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में स्थित मेडिकल कॉलेजों या मेडिकल संस्थानों को छोड़कर, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल संस्थान, कम से कम 20 एकड़ भूमि के एकात्मक परिसर में स्थित होगा। तथापि, किसी ऐसे स्थान, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, खण्ड में उल्लिखित 9 शहरों के अलावा जहां जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, पर्वतीय क्षेत्रों, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली तथा लक्षद्वीप में छूट दी जा सकती है, जहां भूमि दो से अधिक टुकड़ों में नहीं होगी और भूमि के दो टुकड़ों के बीच का फासला 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। छात्रों, अंतरंग डाक्टरों, स्नातकोत्तर/आवासी डॉक्टरों तथा नर्सों के लिए होस्टलों और पुस्तकालय सहित अस्पताल, कॉलेज का भवन भूमि के एक टुकड़े में होगा, जो 10 एकड़ से कम नहीं होगा। अन्य सुविधाएं, दूसरे टुकड़े में स्थित हो सकती हैं। उचित भू-दृश्य निर्माण (लैंडस्केपिंग) किया जाना चाहिए।

तथापि, मेगा शहरों (मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई) और 'ए' श्रेणी शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में मेडिकल कॉलेजों की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमत एफएआर/एफएसआई, ही एकमात्र मापदंड होगा, बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, होस्टल, आवासीय क्वार्टरों और न्यूनतम मानक शर्त विनियमावली के अनुसार अपेक्षित अन्य अवसंरचना सहित उपयुक्त अवसंरचना के लिए अपेक्षित कुल निर्मित क्षेत्र, संक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत, अनुमेय एफएआर/एफएसआई के आधार पर कम से कम 10 एकड़ का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाए।

और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित प्रदेश के मामले में जहां वर्तमान में सरकारी अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के एक अंग के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, कॉलेज अपने छात्रों, अंतरंग डाक्टरों, स्नातकोत्तर/आवासी डॉक्टरों तथा नर्सों इत्यादि के लिये कॉलेज, पुस्तकालय, छात्रावास के लिये 5 किलोमीटर की परिधि

के अंदर दस एकड के एक अन्य प्लॉट में बना सकते हैं।"

डॉ. संगीता शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/11/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामत: 'आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना विनियावली, 1999' दिनांक 28 अगस्त, 1999 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेडि. के अंतर्गत भारत के गजट के भाग-III, धारा (4) में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 7 अक्तूबर, 1999, 14 अगस्त, 2000, 29 जुलाई, 2008, 22 अक्तूबर, 2009, 26 फरवरी, 2010 और 16 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2011

F. No. Medical Council of India 34(41)/2011-Med./37036—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely :—

1. (i) These regulations may be called by the "Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2011".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Clause 2(2) under the heading "QUALIFYING CRITERIA", as amended *vide* notification dated 26-2-2010 shall be substituted with the following :—

"The medical college or medical institution shall be housed in a unitary campus of not less than 20 acres of land except in mega cities (Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai) and 'A' class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur). However, this may be relaxed in a place especially in Urban areas where the population is more than 25 lakhs, other than the nine cities mentioned in the clause, hilly areas, notified tribal areas, North Eastern States, Hill States and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep, where the land shall not be in more than two pieces and the distance between the two pieces shall not be more than 10 Kms. The hospital, college building including library and hostels for the students, interns, PGs/Residents and Nurses shall be in one piece of land which shall not be less than 10 acres. Other facilities may be housed in the other piece of land, Proper landscaping should be done.

However, in mega cities (Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai) and 'A' class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur), the permissible FAR/FSI would be the criterion for allowing the medical colleges provided that the total built up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital, hostels, residential quarters, and other infrastructure required as per Minimum Standard Requirement Regulations is made available in an area of not less than 10 acres based upon the permissible FAR/FSI allowed by the competent authority.

Further, in cases of Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, where existing Government Hospital is used as part of the Medical College the college, the library and the hostels for the students, interns, PGs/Residents and nurses etc. can be housed on another plot of ten acres within the radius of 5 kilometres."

Dr. SANGEETA SHARMA, Secy.

[ADVT III/4/100/11/Exty.]

Foot Note : The Principal rugulations namely : "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999., *vide* Council of India Notification No. 34(41)/98-Med. and amended *vide* notification 7th October, 1999, 14th August, 2000, 29th July, 2008, 22nd October, 2009, 26th February, 2010 and 16th April, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.